आर.ई.ओ. 48

जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/आअ-पीoपीoएण्ड एमo/फाo सा.शाखा/प्रेo 2318 दिनांक 6-3-03

आदेश

विषयः– मृत भूतपूर्व सैनिक के पिता/पोत्र या वैधानिक उत्तर धिकारी के सामान्य श्रेणी कृषि कनेक्शन में वरीयता देने के संबन्ध में।

****

निगम के आदेश संख्या आर.ई.ओ. 15 दिनांक 20.5.2002 के अनुसार कार्यरत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं के समान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनो के लिये "कट ऑफ डेट" से तीन वर्ष की प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान दिया हुआ है।

इसी क्रम में समन्वय समिति की 52 वीं बैठक दिनांक 10 व 11 फरवरी 2003 में निर्णय लिया गया है कि भूतपूर्व सैनिक की विधवा की मृत्यु हो जाने पर या विधवा के नाम भूमि नही होने पर मृत भूतपूर्व सैनिक के पुत्र,पुत्र के जीवित न होने पर पिता, पोत्र अथवा किसी अन्य वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम की भूमि होने पर सामान्य श्रेणी की "कट ऑफ डेट" से तीन वर्ष की प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।